संख्या-543/2023/1525/22-2-2023-17(765)/2017

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्द्र पुत्र श्री सौदान, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14561/प्रो0अनु0(2)-249/2023 (बैठक दिनांक 01.05.2023) दिनांक 04.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्द्र पुत्र श्री सौदान, सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 की शाम 07.00 बजे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद ईंख के खेत की गुड़ाई करके लौट रहे थे, कि इसी दौरान बन्दी द्वारा अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उनके ऊपर कट्टों से फायर कर चारों व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.04.2022 तक 20 वर्ष 10 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 17.02.2023 में अंकित किया गया कि अगर बंदी को रिहा करने से समाज और गवाहान पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तो बंदी के छोड़े जाने पर न्यायालय को काई आपत्ति नहीं है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 की शाम 07.00 बजे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद ईंख के खेत की गुड़ाई करके लौट रहे थे, कि इसी दौरान बन्दी द्वारा अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उनके ऊपर कट्टों से फायर कर चारों व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बंदी परविन्द्र पुत्र श्री सौदान को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परविन्द्र (बन्दी संख्या-9761) पुत्र श्री सौदान, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-543/2023/1525(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।